



छत्तीसगढ़ शासन



## फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति

फर्मों के रजिस्ट्रार, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 58 (1) द्वारा नियत वृतान्त-पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। वृतान्त-पत्र सम्मिलित किया गया है और फर्म का

नाम ..... मेसर्स एक्स्प्रेट सर्वेयिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन .....

फर्म का रजिस्टर में क्रमांक ..... 292/2013-14 ....., सन् 200 के रूप में लिखा गया है।

बिहार रासपुर

दिनांक ...10/01/2014 सन् 200

(अजय चौधरी)

फर्मों के रजिस्ट्रार

फर्मों के रजिस्ट्रार

मेसर्स एक्स्प्रेट सर्वेयिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन .....

डी. 359, अन्नमण्डा विहार, एन्टीपीसी कालोनी

जमनीपाली, जिला कोरबा .....